- FEB 1960

संयुक्त खदान मजदूर संघ

Samyukt Khadan Mazdur Sangh

Affiliated to:—
ALL INDIA TRADE UNION CONGRESS

(Regd. No. 2550)

Durg District Branch
P. O. RAJNANDGAON (M. P.)

Ref. No. ....

274-A

Dated 6th February 1960

Dear Com. K. G. Shrivastava,

I expect you have received my regd. letter containing reports. Leave leaflet from "Iron mines" and today again going with these handbills. This is our new attempt. We have purchased a office there and have started work in a different manner.

This time Com. Krishna Modi too worked very efficiently. He has come back in his own form and yesterday has left for Balaghat, 'Manganese Mines' area. He has assured me to make forceful attempt to remove the present weaknesses there.

Regarding other points you can talk with Com. Sanyal & Dajir during general council meeting. Com. Sanyal will report on all the points in respect of mines belt.

Main difficulty before me, today is fund. We need a lot to meet up agitation & propaganda expenses, when the work is going on competitive basis with I.N.T.U.C (as they too are trying to enter), and our consolidated position, whatever we managed to create

10 FEB 1960

संयुक्त खदान मजदूर संघ

फोन नं. ४४१७

(ए. आय. टी. यू. सी. से संम्बन्धित)

मुंबईप्रदेश — मध्यप्रदेश

र. नं २५५०

एस. के. सन्याल,
प्रधान मंत्री

मुख्य कार्यालय :
तिलक पुतला, महाल, नागपुर

DH-A

अ. नं. ____________

दिनांक 7-2-1960

Dear Com.K.G.,

I was late in sending my eralier report on Damua Accident simply ~~xxxxxx~~ because I had to run to the iron mines at Jharandulli and then I was expecting some technical details, and afew photos for which I had offered any price.

Quite after sometimes ,.on my return I got the MO. and that helped me to pay a second visit and also take out a handbill.No Court of Inquiry has yet been set up and it is my apprehension that none will be set up.The agitation is simply absent and both because of its situation being the farthest corner and total absence of T.U.movemnet movement,there is complete lull.I have got the preliminaries for the Inquiry,if it is atall held and the AITUC decides to participate.It is to break this lull that I have sent the handbill .Com.Vitthal Rao met me at Parasia when I visited the place second time.It was an accidental meeting.I came to know on his arrival that he was there for some enquiry committee meeting on the C.R.C.Labour camp and I decided to meet him at the rest.house.

During my last visit, I had asked either Com.S.D.Mukherji or P.K.Thakur, from Jabalpur to come down to Prasia and the latter came down. That helped me to think about some organisational problems. We have decided tentatively that with the help of our old contacts we shall try to start working.This we propose to finalise in consultation with you, Coms Dange,VitthalRao, Daji,Thakur when we meet in Delhi for the AITUC Gen.Council meetingbetween 13th.and 15th. Will you kindly spare some time and ma ke the necesary arrangeent?

In order to avoid delay, I hadasked the typist to send the report staright to you but then I found that the figures were not drawn.Please find herewith the

figures enlosed . I am s orrybfor the incdnvinience caused to you on this account.

With greetings,

Yours Fraternally ,

(S.K.Sanyal)

General Secretary.

Fig. 1.

Depth is nearly 500 to 600' ft.

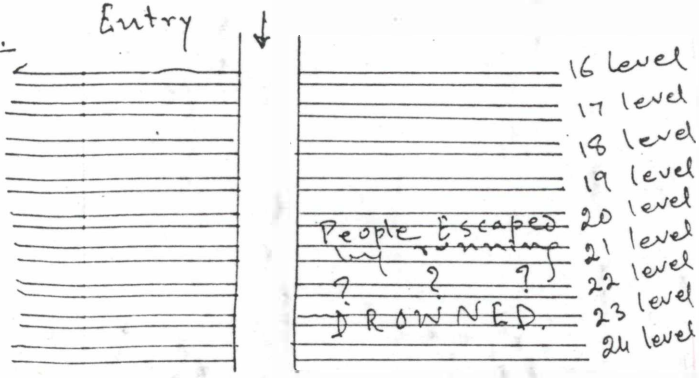

Fig. 2.

Depth is between 500 and 600' ft.

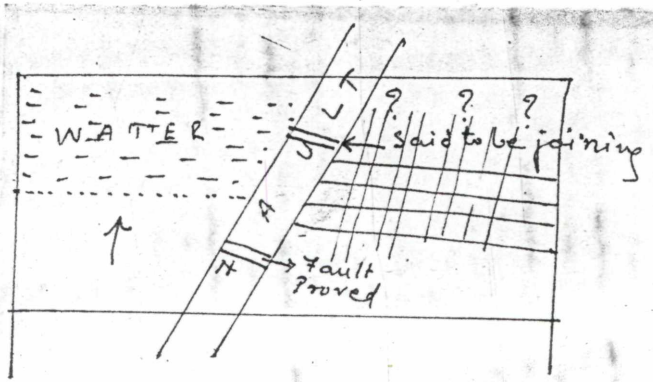

★ हाजरी कार्ड ★ पेमेंट वाउचर ★ आठ घंटा काम ★ ओव्हर टाइम एलाउंस ★ बोनस ★ पक्का क्वार्टर्स ★ मेडिकल व केजुवल छुट्टी ★ मजदूर तथा उनके परिवार को मुफ्त इलाज ★ स्थायी नौकरी ★ तथा जीवन वेतन आदि हक हासिल करने के लिए

राजहरा चिखली लोहा खदान में काम करने वाले समस्त मजदूर, इलेक्ट्रीकल, मेकानिकल व क्लरिकल स्टाफ, साइडिंग वर्कर, ड्राइव्हर व क्लीनर "संयुक्त खदान मजदूर संघ" के नीचे संगठित होइये।

कामगार भाइयों तथा बहिनों,

आज करीब ३ साल से भिलाई स्ट्रील प्रोजेक्ट की "दल्ली, राजहरा" लोहा खदान में काम शुरू हो गया है। परन्तु दिनोंदिन कामगारों की हालत बिगड़ती चली जा रही है। वहां हजार कामगारों को पत्तो की टूटी झोपड़ियों में रहना पड़ रहा है, पीने के पानी की व्यवस्था न हो सकी, दवा दारू का इंतजाम नहीं के बराबर है, जब चाहे कामगारों को काम पर से अलग कर दिया जाता है; आठ घंटे से ज्यादा काम करने पर भी कामगारों को 'ओव्हर टाइम एलाउंस' नहीं मिलता 'हाजरी कार्ड' व 'पेमेंट वाउचर' आदि की व्यवस्था आज भी नहीं है, दो-दो, तीन-तीन सप्ताह तक कामगारों को पगार नहीं दी जाती, माहवारी कामगारों को दस तारीख के बाद ही पगार दी जाती है।

साइडिंग पर भी लोडिंग करने वाले कामगारों के लिए काम का कोई निश्चित समय नहीं है। रात रात में कामगारों से लोडिंग कराई जाती है पर पैसा उतना ही दिया जाता है जितना दिन को दिया जाता है।

खदानों में भी कामगारों को एक सरीखा रेट नहीं दिया जाता। रेट चार रुपया से लेकर साढ़े चार रुपया तक है। फर्मा भी कानून के मुताबिक ५×५×१ फीट का नहीं है, उससे काफी बड़ा है। इसी तरह बी. एस. पी. के छत्रछाया में ठेकेदार लोग गरीब कामगारों को लूटते चले जा रहे हैं। अगर कोई कामगार अपनी दिक्कतों को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारीगण कोई ध्यान नहीं देते हैं। उल्टा कामगारों को यह कह दिया जाता है कि तुम टेम्पररी या वर्क चार्ज में हो और उन्हें काम पर से भी अलग कर दिया जाता है। बी. एस. पी. की तरफ से कामगारों के लिए आज तक "स्थायी आदेश" (स्टेंडिंग आर्डर) नहीं बनाया गया है।

उपरोक्त तमाम दिक्कतों के बाबत में "संयुक्त खदान मजदूर संघ" ने भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के उच्च अधिकारियों को जानकारी दी तथा बैठकर बातचीत भी की पर आज तक उसका कोई फल नहीं निकल सका। उसका एक ही कारण है कि राजहरा-दल्ली लोहा खदान में काम करने वाले तमाम कामगार आज भी असंगठित हैं।

इसके पूर्व **"संयुक्त खदान मजदूर संघ"** के नेतृत्व में, ज्योति ब्रदर्स के मातहत काम करने वाले मजदूरों के दिक्कतों को दूर करने के लिए काफी संघर्ष हुआ। वहां के मजदूर जहां तक संगठित हो सके उसी के आधार पर ही उनको कुछ हद तक सहूलियतें मिलीं, परन्तु कामगारों की ओर से ढिलाई आने से मजदूरों के वाजिब हक सोलह आना प्राप्त नहीं हो सका।

राजहरा-चिखली लोहा खदान में आज करीब १० हजार मजदूर काम कर रहे हैं इन मजदूरों के लिए ठेकेदार या भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के अधिकारी, किसी को कोई फिकर नहीं है। हो सकता है कि अगले चार पांच माह के अंदर हजारों मजदूरों को काम पर से अलग कर दिया जावेगा। खदानों में काम करने वाले मजदूरों को आज जिस प्रकार माल मिल रहा है, अगले तीन चार माह के अंदर ही इस तरह माल मिलना मुश्किल हो जावेगा और मजदूर मुश्किल से आधी-रोजी भी कमा नहीं पायेंगे।

इस हालत में राजहरा-चिखली खदान में काम करने वाले सभी तरह के मजदूर तथा कर्मचारियों से संयुक्त खदान मजदूर संघ की अपील है कि वे समय रहते हुए अपनी अपनी दिक्कतों तथा सामने आने वाले हमलों के बारे में सतर्क हो जावें और अपनी रोजी रोटी पर कायम रहने के लिए, अपने अपने अधिकार तथा इंसानियत की जिंदगी को प्राप्त करने के लिए "संयुक्त खदान मजदूर संघ" के झंडे के नीचे संगठित होकर आगे बढ़ें। **संयुक्त खदान मजदूर संघ, लालझंडा यूनियन** ही समस्त मजदूर तथा कर्मचारियों को सही पथ प्रदर्शन करा सकती है। दिक्कतों को देखते हुए "संयुक्त खदान मजदूर संघ" निम्नांकित मांगें प्रस्तुत करती है:—

कामगारों तथा कर्मचारियों की फौरी मांगें:—

१. राजहरा-चिखली में काम करने वाले खदान मजदूर, साइडिंग वर्कर, इलेक्ट्री शियन, मेकानिकल व कलरिकल स्टाफ, ड्राइव्हर व क्लीनर आदि लोगों के रहने के लिए **"क्वाटर"** एवं **"पानी"** की व्यवस्था हो।

२. समस्त कामगारों को **"हाजरी कार्ड"** तथा **"पेमेंट वाउचर"** दिया जाय। जिन कामगारों को ६ माह से अधिक समय हो गया है उन्हें **"स्थायी" (परमानेंट)** किया जावे, चाहे वे "वर्क चार्ज" के क्यों न हों।

[कृपया पीछे देखिये]

३. जिन कर्मचारियों की तरक्की रोक ली गई है या तरक्की में पक्षपात किया गया है उनको "तरक्की" फौरन दी जावे।

४. कोई भी कामगार आठ घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसे कानून के मुताबिक "ओव्हर टाइम एलाउंस" दिया जावे! साइडिंग पर काम करने वाले कामगारों से रात को भी काम ली जाती हो तो उन्हें भी कानूनन "डबलरेट" दिया जावे।

५. रेट और पगार में निम्नलिखित बढ़ौती की जावे:—

६।।) रु० फरमा बढ़ा बोल्डर, ५।। रु० डी० एफ० एल० बोल्डर, ५) रु० स्क्रिनिंग एवं चिल्ली का और मिट्टी का ४।।) रु० १०० फीट चौरस का मिलना चाहिए। फरमा ५×५×१ फीट होना चाहिए।

६ कामगारों की पैदावार के फायदे में से हर तीन माह की हाजिरी का बोनस मिलना चाहिए।

७. माइन्स एक्ट की छुट्टी के अलावा "केजुवल लीव्ह", "बीमारी की छुट्टी" और बड़े बड़े त्योहारों की छुट्टी जैसे १५ अगस्त, २६ जनवरी, गांधी जयंती, मई दिवस, दीवाली, दशहरा, होली एवं पोले की पगारी छुट्टियाँ मिलना चाहिए।

८. समस्त कामगारों की पगार माहवारी वाले की ७ तारीख तक एवं हफ्ते वाले की हर शनिवार के ५ बजे शाम के पहले मिलना चाहिए।

९. खदान में काम करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी को ठीक से डाक्टरी सहायता एवं दवा मिलनी चाहिए तथा खदान में 'एक्सीडेंट' व 'चोट' लगने पर "एम्बूलेंस गाड़ी" की व्यवस्था व "बेकारी भत्ता" मिलना चिहए।

१०. कामगार तथा कर्मचारियों को काम छोड़ने पर बुढ़ापे आदि सहारे के लिए "प्राव्हीडेंट फंड" एवं "ग्रेजुएटी" का नियम लागू होना चाहिए।

११. समस्त कर्मचारियों को जैसा कि उच्च अधिकारियों को "माईनिंग एलाऊंस" या "स्पेशल भत्ता" मिलता है वैसा भत्ता मिलना चाहिए।

१२. "प्रासपेक्टींग एरिया" को माइनिंग एरिया घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तक वहां से एक लाख टन से ज्यादा लोहा निकल चुका है और वहां पर भी खदान के कामगारों के जैसा रेट मिलना चाहिए।

१३. खदानों में बच्चों के लिए "क्रीच घर" (बच्चा घर) तथा "रेस्ट सेड" की व्यवस्था हो।

१४. कामगार एवं प्रोजेक्ट अधिकारियों के बीच अच्छे सम्बन्ध कायम रखने के लिए "स्थायी आदेश" (स्टेंडिंग आर्डर) बनायी जावे।

१५ हर चीजों के बढ़ती हुए कीमतों को देखते हुए खदान एरिया में सस्ते अनाज की दुकानें खोली जांय।

अन्त में "दल्ली-राजहरा-चिखली" में काम करने वाले हर विभाग के कामगारों से "सँयुक्त खदान मजदूर संघ" (लाल झँडा) अपील करता है कि उपरोक्त वाजिब मांगों को प्राप्त करने के लिए सब कोई एक जुट हो जावें और "सँयुक्त खदान मजदूर संघ" के सदस्य बनकर अपने संगठन को मजबूत बनाएं।

किसी भी कामगार को किसी किस्म की शिकायत करनी हो तो रोजाना ५ बजे से रात ६ बजे तक 'संयुक्त खदान मजदूर संघ" के आफिस में आकर मिलें।

संयुक्त खदान मजदूर संघ जिंदाबाद!

लाल झंडा जिंदाबाद! * मजदूर एकता जिंदाबाद!

आपके—

एस. डी. मुखर्जी	कृष्णा मोदी	एस. के. सन्याल	प्रकाशराय	गंगा चौबे
अध्यक्ष	कार्याध्यक्ष	प्रधान मंत्री	ब्रांच-सेक्रेटरी	अध्यक्ष दुरुग जिला शाखा

संयुक्त खदान मजदूर संघ

(र० नं० २५५०)

ब्रांच आफिसः- **राजनांदगांव**

नोटः— दल्ली-राजहरा में आफीस सिनेमा के पीछे है।

पढ़कर कृपया दूसरे साथी को भी पढ़ने दें

भारती प्रेस, राजनांदगांव